पिछले कई वर्षों से भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी नियमावलियों और विनियमावलियों की रचना में परामर्शी प्रक्रिया का पालन कर रहा है। यह बाजार सहभागियों से स्थायी परामर्शी समितियों, कार्यदलों आदि के माध्यम से नियमित रूप से परामर्श करता है। ऐसे कार्यदलों की रिपोर्टें विचारों/अभिमत के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाली जाती हैं। प्राप्त विचारों/अभिमतों को ध्यान में रखते हुए नियमावलियों और विनियमावलियों का प्रारूप तैयार किया जाता है। इन दोनों को भी अभिमत के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार तैयार की गई विनियमावलियां एक उपयोगकर्ता पैनल के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। इन विचारों/अभिमतों पर विचार करते हुए अंतिम रूप से नियमावलियों और विनियमावलियों को जारी किया जाता है।